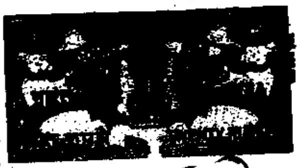

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनरीक्षण R 938-I-17

भरत सिंह पुत्र ओमप्रकाश दांगी
निवासी–दंगियाना मौहल्ला, निवाड़ी
तहसील–निवाड़ी, जिला–टीकमगढ़

विरूद्ध

1. सुरेश पुत्र ग्याप्रसाद दांगी
2. रमेश पुत्र ग्याप्रसाद दांगी
3. हरीप्रकाश पुत्र ग्याप्रसाद दांगी
निवासी–निवाडी, तहसील–निवाडी
जिला–टीकमगढ़
4. शत्रुघ्न पुत्र ओमप्रकाश दांगी
5. अजबकुंवर विधवा पत्नी ओमप्रकाश दांगी
6. मध्यप्रदेश शासन

कलेक्टर जिला–टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक–112/बी–121/2014–15 में दिनांक 14/03/2017 को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, कलेक्टर महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक–4 व 5 ग्राम निवाडी खास की भूमि सर्वे क्रमांक 572/14 के स्वामी एवं आधिपत्यधारी है उक्त तीनो स्वामीयों के मध्य आपस में भूमि का बंटवारा हो चुका है आवेदक को बंटवारे में भूमि सर्वे क्रमांक 2020/1/11 से लगा हुआ लगभग एक एकड का भूखण्ड आपसी बंटवारे में प्राप्त हुआ है।

3. यह कि, आवेदक ने भूमि सर्वे क्रमांक–572/14 के सीमांकन हेतु तहसीलदार निवाडी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था सीमांकन प्रकरण क्रमांक 9/अ–12/13–14 में दिनांक 14/06/2014 को स्थल पर सीमांकन किया गया जिसकी पुष्टि दिनांक 24/06/2014 को तहसीलदार निवाडी द्वारा की गयी सीमांकन में आवेदक की लगभग 0.200 हैक्टेयर भूमि पर अनावेदक–1 का अवैध आधिपत्य होना पाया गया था।

न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमॉक 112/बी121/2014-15 मे आदेश

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण कमांक 938-एक/17/निगरानी | जिला टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
4-10-17	यह निगरानी कलेक्टर टीकमगढ द्वारा प्रकरण कमांक 112 बी-121/14-15 में पारित आदेश दिनांक 14-3-17 के विरुद्ध म.प्र.भू. राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा कलेक्टर टीकमगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-3-17 का अवलोकन किया गया। आदेश के अवलोकन पर स्थिति यह है कि कलेक्टर द्वारा जांच कराने पर पाया गया है कि ग्राम निवाड़ी की भूमि सर्वे कमांक 572/14 कर रकबा 30520 हैक्टर खसरे में अंकित है किन्तु बंदोवस्त के दौरान तैयार किये गये नक्शे में रकबा मिलान करने पर 3.743 पाया गया है इस प्रकार नक्शे में 0.223 है अधिक की नक्शा तरमीम प्रतीत होती है जिसके सुधार की कार्यवाही करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी को दिये गये हैं। कलेक्टर के आदेश दिनांक 14-3-17 का अंतिम पद इस प्रकार है :- " **अतः प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी के समीप इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि उभय पक्ष द्वारा उल्लेखित तथ्यों पर जांच दल द्वारा पाई गई त्रुटियों के संबंध में प्रश्नगत भूमि का बंदोवस्ती अभिलेख में समय समय पर हुये परिवर्तन बटांक व तरमीम का अभिलेख से मिलान कर पूर्ण परीक्षण करें तथा नक्शा खसरा अभिलेख में संशोधन दर्ज कर पालन प्रतिवेदन भेजें।** " स्पष्ट है कि पक्षकारों को अनुविभागीय अधिकारी एंव कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है एंव वर्तमान स्थिति में भूमि की दशा यथावत् है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं होने से अमान्य की जाती है। सदस्य	